



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-21022026-270388
CG-DL-W-21022026-270388

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 6] नई दिल्ली, फरवरी 15—फरवरी 21, 2026, शनिवार/माघ 26—फाल्गुन 2, 1947
No. 6] NEW DELHI, FEBRUARY 15—FEBRUARY 21, 2026, SATURDAY/MAGHA 26—PHALGUNA 2, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

अंतरिक्ष विभाग

बेंगलूरु, 29 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 50.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, अंतरिक्ष विभाग में प्रवर श्रेणी लिपिक (स्तर-4) के समूह 'ग' के अराजपत्रित पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

- लघु शीर्षक और आरंभ** – (1) इन नियमों को अंतरिक्ष विभाग, प्रवर श्रेणी लिपिक भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- प्रयोज्यता** – ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि** - उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामलों उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- अपात्रता** – कोई भी ऐसा व्यक्ति, -
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है;

या

(ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

- छूट देने का अधिकार**- जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है, तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
- व्यावृत्ति**- इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन या गैर-चयन पद है?
1	2	3	4	5
प्रवर श्रेणी लिपिक (यू.डी.सी.)	35* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ग' (अराजपत्रित)	(i) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (₹ 25500 - 81100) (ii) यू.डी.सी. पद (स्तर-4) में 4 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने पर स्तर- 6 में गैर-प्रकार्यात्मक चयन श्रेणी।	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
6	7
<p>सामान्य (अनारक्षित) अभ्यर्थियों के लिए 18 से 28 वर्ष।</p> <p>(केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक छूट)</p> <p>नोट-1: आयु-सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश, लाहौल और स्पीति जिला और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि)।</p> <p>नोट-2: उन पदों के संबंध में, जिनके लिए नियुक्ति रोजगार कार्यालय (यों) के माध्यम से की जाती है, प्रत्येक मामले में आयु-सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि वह अंतिम तिथि होगी जिस तक रोजगार कार्यालय (यों) से नाम जमा करने के लिए कहा गया है।</p>	<p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा घोषित न्यूनतम 60% अंकों या 10-बिंदु पैमाने पर 6.32 के सी.जी.पी.ए. के साथ स्नातक, इस पूर्व-आवश्यक शर्त के साथ कि स्नातक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की अवधि के भीतर पूरा किया गया हो; और कंप्यूटर पर कार्य करने में निपुणता।</p> <p>द्वि/एकीकृत उपाधि कार्यक्रमों के मामले में:</p> <p>क) यदि स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए सी.जी.पी.ए./प्रतिशतता का द्वि/एकीकृत उपाधि प्रमाण-पत्र में अलग-अलग उल्लेख किया गया है, तो स्नातक स्तर के लिए सी.जी.पी.ए./प्रतिशतता का निर्धारण के लिए विद्यमान कार्यविधि को अपनाया जाएगा;</p> <p>ख) यदि अध्ययन के पूरे पाठ्यक्रम के लिए लागू साझा सी.जी.पी.ए./प्रतिशतता का ही द्वि/एकीकृत उपाधि प्रमाण-पत्र में उल्लेख किया गया है, तो पूरे अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए लागू द्वि/एकीकृत उपाधि प्रमाण-पत्र में उल्लेखित अंतिम सी.जी.पी.ए./प्रतिशतता को अर्हता निर्धारित करने के लिए आधार माना जाएगा;</p> <p>ग) यदि कोई विश्वविद्यालय अपने द्वि/एकीकृत उपाधि प्रमाण-पत्रों में कोई सी.जी.पी.ए./प्रतिशतता निर्धारित नहीं करता है, तो पूरे अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए लागू अंतिम/समेकित अंक पत्र के अनुसार समग्र सी.जी.पी.ए./प्रतिशतता को अर्हता निर्धारण का आधार माना जाएगा;</p> <p>घ) उपर्युक्त मानदंड समान रूप से लागू होंगे, बिना इस पर ध्यान दिए कि कोई विश्वविद्यालय/संस्था अपने द्वि/एकीकृत उपाधि प्रमाण-पत्र में स्नातक/स्नातकोत्तर के लिए सी.जी.पी.ए./प्रतिशतता निकालने का सूत्र निर्धारित करता है या नहीं;</p> <p>ङ) यदि कोई विश्वविद्यालय अपने उपाधि प्रमाण-पत्र या समेकित अंक पत्र में सी.जी.पी.ए. और अंकों की प्रतिशतता दोनों का उल्लेख करता है, तो कम-से-कम एक मानदंड या तो सी.जी.पी.ए. या प्रतिशतता अं.वि. की पात्रता प्रतिमानकों के अनुरूप होना चाहिए;</p> <p>च) यदि कोई विश्वविद्यालय अपने उपाधि प्रमाण-पत्र या समेकित अंक पत्र में केवल सी.जी.पी.ए. का उल्लेख करता है, तो उल्लेखित सी.जी.पी.ए. अं.वि. के पात्रता मानदंड के अनुरूप ही होना चाहिए। पात्रता निर्धारित करने के लिए सी.जी.पी.ए. को अंकों की प्रतिशतता में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं है, भले ही संबंधित विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा कोई परिवर्तन सूत्र निर्धारित किया गया हो। आवश्यक परिवर्तन सहित यही मानदंड उन मामलों में भी लागू होता है, जहाँ उपाधि प्रमाण-पत्र/समेकित अंक-पत्र पर केवल अंकों की प्रतिशतता का उल्लेख किया गया है।</p>

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई	भर्ती का तरीका चाहे सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
8	9	10
लागू नहीं	एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, किन श्रेणियों से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय स्थायीकरण समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए।
11	12	13
लागू नहीं	समूह 'ग', विभागीय चयन/स्थायीकरण समिति में शामिल हैं: 1 उप सचिव, अं.वि. : अध्यक्ष 2 अवर सचिव, अं.वि. : सदस्य 3 अनिवार्य प्रतिनिधि : सदस्य (अ.जा./अ.ज.जा./ महिला/दिव्यांग/ अल्पसंख्यक)	लागू नहीं

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस. आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore, the 29th January, 2026

G.S.R. 50.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'C', Non- Gazetted post of Upper Division Clerk (Level-4) in the Department of Space, namely:-

- Short title and commencement** – (1) These rules are called the Department of Space, Upper Division Clerk Recruitment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification** – No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

OR

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or Non-Selection Post
1	2	3	4	5
Upper Division Clerk (UDC)	35* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'C' (Non-Gazetted).	(i) Level 4 (Rs. 25500-81100) in the Pay Matrix. (ii) Non-Functional Selection Grade in Level-6 on completion of 4 years regular service in UDC post (L-4).	Not Applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
6	7
<p>18 to 28 Years for General (Unreserved) candidates</p> <p>(Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note-1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, UT of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>Note-2: In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment Exchange(s), the crucial date for determining the age-limit shall, in each case be the last date upto which the Employment Exchange(s) are asked to submit the names.</p>	<p>Graduation with minimum of 60% marks or CGPA of 6.32 on a 10-point scale as declared by any recognized University, with a pre-requisite condition that Graduation should have been completed within the stipulated duration of the course as prescribed by the University; and</p> <p>Proficiency in the use of Computers.</p> <p>In case of Dual/Integrated Degree programmes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Where a CGPA/Percentage for Graduation and Post-Graduation is mentioned separately in the Dual/Integrated Degree Certificate, existing procedure for reckoning CGPA/percentage of the graduation level shall be reckoned; Where a common CGPA/ percentage applicable for the entire course of study is only mentioned in the Dual/Integrated Degree Certificate, final CGPA/ percentage as mentioned in the Dual/Integrated degree Certificate as applicable for the entire course of study, shall be reckoned for deciding the eligibility; Where a University does not prescribe any CGPA/percentage in Dual/Integrated Degree certificates, the cumulative CGPA/percentage as per Final / Consolidated Mark Sheet, as applicable for the entire course of study, shall be reckoned for deciding the eligibility; The above criteria will apply uniformly regardless of whether or not a University/Institution prescribes a formula to derive the CGPA/percentage for Graduation/ Post Graduation in its Dual / Integrated Degree certificate; Where a University mentions both CGPA and percentage of marks in Degree Certificate or Consolidated Mark-sheet, then at least one criteria i.e., either CGPA or percentage of marks should meet DOS eligibility norms; Where a University mentions only CGPA in degree Certificate or Consolidated Mark-sheet, then the CGPA so mentioned should necessarily meet DOS eligibility criteria. Conversion of CGPA into percentage of marks is not permitted to determine eligibility, regardless of whether any conversion formula is prescribed by the

	University / Institution concerned. The same criteria apply mutatis mutandis in cases where only percentage of marks is mentioned in the Degree Certificate / Consolidated Mark-sheet.
--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
8	9	10
Not Applicable	One year	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Confirmation Committee exists, what is the composition?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Not Applicable	Group 'C', Departmental Selection / Confirmation Committee consisting of : 1 Deputy Secretary, DOS : Chairperson 2 Under Secretary, DOS : Member 3 Mandatory Representatives (SC/ST/Women/PWD/Minority) : Member	Not Applicable

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 51.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, अंतरिक्ष विभाग में सहायक अनुभाग अधिकारी (स्तर-7) के समूह 'ख' के अराजपत्रित पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

- लघु शीर्षक और आरंभ** – (1) इन नियमों को अंतरिक्ष विभाग, सहायक अनुभाग अधिकारी भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- प्रयोज्यता** – ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि** - उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामलों उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

5. अपात्रता – कोई भी ऐसा व्यक्ति, -

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है;

या

(ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

6. छूट देने का अधिकार- जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है, तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।

7. व्यावृत्ति - इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन या गैर-चयन पद है?
1	2	3	4	5
सहायक अनुभाग अधिकारी (ए.एस.ओ.)	23* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ख' (अराजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 7 (₹44900- 142400)	चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी?
6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई	भर्ती का तरीका चाहे सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति / आमेसन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
9	10
शून्य	क्रमशः 2:1 के अनुपात में वरिष्ठता एवं योग्यता द्वारा विभागीय योग्यता परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति और ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, किन श्रेणियों से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए।																
11	12	13																
<p>क) पदोन्नति:</p> <p>9 वर्षों की नियमित सेवा के साथ स्तर-4 (स्तर-6 में एन.एफ.एस.जी. सहित) में प्रवर श्रेणी लिपिक।</p> <p>नोट-1: स्तर-7 में सहायक अनुभाग अधिकारी (अं.वि. में तत्कालीन सहायक) के पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता सेवा इन नियमों की अधिसूचना तारीख पर नियमित आधार पर फीडर पद अर्थात् स्तर-4 में प्रवर श्रेणी लिपिक पदधारी कर्मचारियों के लिए चार (4) वर्ष ही रहेगी।</p> <p>नोट-2: दिनांक 20.12.2022 के विज्ञापन सं. इसरो: आई.सी. आर. बी.:02 (ए.-जे.पी.ए.): 2022 के प्रति तैयार किए गए वर्तमान पैनल में चयनित यू.डी.सी. चार (4) वर्षों में स्तर-7 में सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र होंगे।</p> <p>नोट-3: जहाँ कनिष्ठ, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवाएँ पूरी कर ली हैं, पदोन्नति के लिए विचारार्थ हैं, उनके वरिष्ठ भी अपने कनिष्ठों की भांति अगली उच्च श्रेणी में पदोन्नति हेतु विचारार्थ होंगे, बशर्ते कि वे आवश्यक अर्हता या पात्रता सेवा की आधे से अधिक अवधि या दो (2) वर्ष, जो भी कम हो, पूरी कर चुके हों तथा परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर चुके हों। विगत मामलों को पुनः खोलने की आवश्यकता नहीं है।</p> <p>ख) प्रतिनियुक्ति:</p> <p>(i) <u>भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में पदधारियों में से:</u></p>	<p>समूह 'ख', विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) में शामिल हैं:</p> <table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>निदेशक, अं.वि.</td> <td>:</td> <td>अध्यक्ष</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>उप सचिव, अं.वि.</td> <td>:</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>अवर सचिव, अं.वि.</td> <td>:</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>अनिवार्य प्रतिनिधि</td> <td>:</td> <td>सदस्य</td> </tr> </table> <p>(अ.जा./अ.ज.जा./महिला/दिव्यांग/अल्पसंख्यक)</p>	1	निदेशक, अं.वि.	:	अध्यक्ष	2	उप सचिव, अं.वि.	:	सदस्य	3	अवर सचिव, अं.वि.	:	सदस्य	4	अनिवार्य प्रतिनिधि	:	सदस्य	<p>लागू नहीं</p>
1	निदेशक, अं.वि.	:	अध्यक्ष															
2	उप सचिव, अं.वि.	:	सदस्य															
3	अवर सचिव, अं.वि.	:	सदस्य															
4	अनिवार्य प्रतिनिधि	:	सदस्य															

<p>क) नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी; या</p> <p>ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 पर नियमित आधार पर समकक्ष संवर्ग में पद पर नियुक्ति के बाद नौ वर्षों की नियमित सेवा की हो।</p> <p>ii) <u>केंद्र सरकार के अधीन केंद्रीय सेवाओं के पदधारी:</u></p> <p>क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी; या</p> <p>ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 में नियमित आधार पर समकक्ष संवर्ग में पद पर नियुक्ति के बाद नौ वर्षों की नियमित सेवा की हो।</p> <p>नोट-1: प्रतिनियुक्ति पर पदधारियों के चयन में समय-समय पर विभाग में गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन शामिल होगा।</p> <p>नोट-2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>नोट-3: प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल: प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्षों की होगी और इसे उचित प्रक्रिया के साथ 2 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।</p>	
---	--

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस. आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 29th January, 2026

G.S.R. 51.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'B', Non- Gazetted post of Assistant Section Officer (Level-7) in the Department of Space, namely:-

- Short title and commencement** – (1) These rules are called the Department of Space, Assistant Section Officer Recruitment Rules, 2025.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualification** – No person, -
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;
- OR**
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to any of the said posts:
- Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
Assistant Section Officer (ASO)	23* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'B', (Non-Gazetted).	Level-7 (Rs. 44900 – 142400) in the Pay Matrix	Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10
Nil	Promotion through Departmental Qualifying Exam by Seniority & Merit in the ratio of 2:1 respectively, failing which Deputation.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition ?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13
<p>a) By Promotion:</p> <p>Upper Division Clerk in Level-4 (with NFSG in Level-6) with 9 years of regular service.</p> <p>Note-1: The eligibility service for promotion to the post of Assistant Section Officer in Level-7 (erstwhile Assistants in DOS) shall continue to be Four (4) years for persons holding the feeder posts i.e., Upper Division Clerk with Level-4 on regular basis on the date of notification of these rules.</p> <p>Note-2: UDCs selected in the current panel drawn against Advt. No.ISRO:ICRB:02(A-JPA):2022 dated 20.12.2022 will be eligible for promotion to Assistant Section Officer in Level-7 in four (4) years.</p> <p>Note-3: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two (2) years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Past cases need not be reopened.</p> <p>b) Deputation:</p> <p>(i) <u>From amongst the Officials in Indian Space Research Organisation (ISRO):</u></p> <p>a) holding the analogous post on regular basis; or</p> <p>b) with nine years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on</p>	<p>Group 'B', Departmental Promotion Committee (for considering promotion), consisting of :</p> <p>1 Director, DOS : Chairperson</p> <p>2 Deputy Secretary, DOS : Member</p> <p>3 Under Secretary, DOS : Member</p> <p>4 Mandatory Representatives (SC / ST / Women / PWD / Minority) : Member</p>	<p>Not Applicable</p>

<p>regular basis in Level-4 in the pay matrix.</p> <p><u>(ii) Officials from Central Services under the Central Government:</u></p> <p>(a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(b) with nine years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-4 in the pay matrix.</p> <p>Note-1: The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the Department from time to time.</p> <p>Note-2: Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>Note-3: Tenure of Deputation: The period of deputation shall be 3 years and can be extended for 2 more years with due procedure.</p>		
---	--	--

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 52.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, अंतरिक्ष विभाग में अनुभाग अधिकारी (स्तर-8) के समूह 'ख' के राजपत्रित पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

1. लघु शीर्षक और आरंभ – (1) इन नियमों को अंतरिक्ष विभाग, अनुभाग अधिकारी भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. प्रयोज्यता – ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
4. भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि - उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
5. अपात्रता – कोई भी ऐसा व्यक्ति, -
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है;
या
(ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,
किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

6. **छूट देने का अधिकार-** जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है, तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
7. **व्यावृत्ति-** इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन या गैर-चयन पद है?
1	2	3	4	5
अनुभाग अधिकारी (एस.ओ.)	14* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ख' (राजपत्रित)	(i) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (₹ 47600 - 151100) (ii) अनुभाग अधिकारी के पद (स्तर-8) में 4 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने पर स्तर-10 में गैर-प्रकार्यात्मक चयन श्रेणी।	चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी?
6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई	भर्ती का तरीका चाहे सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति / आमेसन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
9	10
शून्य	क्रमशः 2:1 के अनुपात में वरिष्ठता एवं योग्यता द्वारा विभागीय योग्यता परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति और ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेसन द्वारा भर्ती के मामले में, किन श्रेणियों से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेसन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए।
11	12	13
क) पदोन्नति: 5 वर्षों की नियमित सेवा के साथ सहायक अनुभाग अधिकारी।	समूह 'ख', विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) में शामिल हैं:	लागू नहीं

<p>5 वर्षों की नियमित सेवा या वैयक्तिक सहायक (स्तर-7) और निजी सचिव (स्तर-8) में 5 वर्षों की संयुक्त सेवाकाल के साथ वैयक्तिक सहायक।</p> <p>नोट-1: स्तर-9 में एन.एफ.एस.जी. के साथ स्तर-8 में मौजूदा अनुभाग अधिकारियों को अब से स्तर-10 में एन.एफ.एस.जी. के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा।</p> <p>ख) प्रतिनियुक्ति:</p> <p>(i) <u>भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पदधारियों में से:</u></p> <p>क) नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी; या</p> <p>ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 में नियमित आधार पर समकक्ष संवर्ग में पद पर नियुक्ति के बाद पाँच वर्षों की नियमित सेवा की हो।</p> <p>ii) <u>केंद्र सरकार के अधीन केंद्रीय सेवाओं समूह-ख के पदधारी:</u></p> <p>क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी; या</p> <p>ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 में नियमित आधार पर समकक्ष संवर्ग में पद पर नियुक्ति के बाद पाँच वर्षों की नियमित सेवा की हो।</p> <p>नोट-1: प्रतिनियुक्ति पर पदधारियों के चयन में समय-समय पर विभाग में गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन शामिल होगा।</p> <p>नोट-2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>नोट-3: प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल: प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्षों की होगी और इसे उचित प्रक्रिया के साथ 2 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।</p>	<p>1 निदेशक, अं.वि. : अध्यक्ष</p> <p>2 उप सचिव. अं.वि. : सदस्य</p> <p>3 अवर सचिव, अं.वि. : सदस्य</p> <p>4 अनिवार्य प्रतिनिधि : सदस्य (अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला / दिव्यांग / अल्पसंख्यक)</p>	
---	--	--

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस. आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th January, 2026

G.S.R. 52.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'B', Gazetted post of Section Officer (Level-8) in the Department of Space, namely:-

1. **Short title and commencement** – (1) These rules are called the Department of Space, Section Officer Recruitment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualification** – No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

OR

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
Section Officer (SO)	14* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'B', (Gazetted).	(i) Level-8 (Rs. 47600 – 151100) in the Pay Matrix (ii) Non-Functional Selection Grade in Level-10 on completion of 4 years regular service in Section Officer post (L-8).	Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10
Nil	Promotion through Departmental Qualifying Exam by Seniority & Merit in the ratio of 2:1 respectively, failing which Deputation.

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition ?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
<p>a) Promotion :</p> <p>Assistant Section Officer with 5 years of regular service in the post.</p> <p>Personal Assistant with 5 years of regular service in the post or with combined residency of 5 years in the post of Personal Assistant (Level-7) and Private Secretary (Level-8).</p> <p>Note-1: Existing Section Officers in Level-8 granted with NFSG in Level-9 shall be replaced with NFSG in Level-10 henceforth.</p> <p>b) Deputation:</p> <p>(i) <u>From amongst the Officials in Indian Space Research Organisation (ISRO):</u></p> <p>a) holding the analogous post on regular basis; or</p> <p>b) with five years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-7 in the pay matrix</p> <p>ii) <u>Officials from Central Services Group-B under the Central Government:</u></p> <p>a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>b) with five years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-7 in the pay matrix.</p>	<p>Group 'B', Departmental Promotion Committee (for considering promotion), consisting of:</p> <p>1 Director, DOS : Chairperson</p> <p>2 Deputy Secretary, DOS : Member</p> <p>3 Under Secretary, DOS : Member</p> <p>4 Mandatory Representatives (SC / ST / Women / PWD / Minority) : Member</p>	Not Applicable

<p>Note-1: The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the Department from time to time.</p> <p>Note-2: Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>Note-3: Tenure of Deputation: The period of deputation shall be 3 years and can be extended for 2 more years with due procedure.</p>	
---	--

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 53.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, अंतरिक्ष विभाग में आशुलिपिक (स्तर-4) के समूह 'ग' के अराजपत्रित पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

1. **लघु शीर्षक और आरंभ** – (1) इन नियमों को अंतरिक्ष विभाग, आशुलिपिक भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. **प्रयोज्यता** – ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
4. **भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि** - उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
5. **अपात्रता** – कोई भी ऐसा व्यक्ति, -

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है;

या

(ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

6. **छूट देने का अधिकार**- जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है, तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।

7. **व्यावृत्ति-** इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन या गैर-चयन पद है?
1	2	3	4	5
आशुलिपिक	17* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ग' (अराजपत्रित)	(i) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (₹ 25500 - 81100) (ii) आशुलिपिक के पद (स्तर-4) में 4 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने पर स्तर-6 में गैर-प्रकार्यात्मक चयन श्रेणी।	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
6	7
<p>सामान्य (अनारक्षित) अभ्यर्थियों के लिए 18 से 28 वर्ष।</p> <p>(केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक छूट)</p> <p>नोट-1: आयु-सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश, लाहौल और स्पीति जिला और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि)।</p> <p>नोट-2: उन पदों के संबंध में, जिनके लिए नियुक्ति रोजगार कार्यालय(यों) के माध्यम से की जाती है, प्रत्येक मामले में आयु-सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि वह अंतिम तिथि होगी जिस तक रोजगार कार्यालय (यों) से नाम जमा करने के लिए कहा गया है।</p>	<p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा घोषित न्यूनतम 60% अंकों या 10-बिंदु पैमाने पर 6.32 के सी.जी.पी.ए. के साथ स्नातक, इस पूर्व-आवश्यक शर्त के साथ कि स्नातक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की अवधि के भीतर पूरा किया गया हो;</p> <p>अथवा</p> <p>किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा घोषित न्यूनतम 60% अंकों या 10-बिंदु पैमाने पर 6.32 के सी.जी.पी.ए. के साथ वाणिज्यिक / सचिवालयीन कार्य में डिप्लोमा, इस पूर्व-आवश्यक शर्त के साथ कि डिप्लोमा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि के भीतर पूरा किया गया है तथा अभ्यर्थियों के पास आशु-टंकक / आशुलिपिक के रूप में एक वर्ष का अनुभव होना ही चाहिए;</p> <p>और</p> <p>अंग्रेजी आशुलिपि में 60 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति तथा कंप्यूटर पर कार्य करने में निपुणता।</p> <p>द्वि / एकीकृत उपाधि कार्यक्रमों के मामले में:</p> <p>क) यदि स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए सी.जी.पी.ए./प्रतिशतता का द्वि/एकीकृत उपाधि प्रमाण-पत्र में अलग-अलग उल्लेख किया गया है, तो स्नातक स्तर के लिए सी.जी.पी.ए. / प्रतिशतता का निर्धारण के लिए विद्यमान कार्यविधि को अपनाया जाएगा;</p> <p>ख) यदि अध्ययन के पूरे पाठ्यक्रम के लिए लागू साझा सी.जी.पी.ए./प्रतिशतता का ही द्वि/एकीकृत उपाधि प्रमाण-पत्र में उल्लेख किया गया है, तो पूरे अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए लागू द्वि/एकीकृत उपाधि प्रमाण-पत्र में उल्लेखित अंतिम सी.जी.पी.ए./प्रतिशतता को अर्हता निर्धारित करने के लिए आधार माना जाएगा;</p> <p>ग) यदि कोई विश्वविद्यालय अपने द्वि/एकीकृत उपाधि प्रमाण-पत्रों में कोई सी.जी.पी.ए./प्रतिशतता निर्धारित नहीं करता है, तो पूरे अध्ययन</p>

	<p>पाठ्यक्रम के लिए लागू अंतिम/समेकित अंक पत्र के अनुसार समग्र सी.जी.पी.ए./प्रतिशतता को अर्हता निर्धारण का आधार माना जाएगा;</p> <p>घ) उपर्युक्त मानदंड समान रूप से लागू होंगे, बिना इस पर ध्यान दिए कि कोई विश्वविद्यालय/संस्था अपने द्वि/एकीकृत उपाधि प्रमाण-पत्र में स्नातक/स्नातकोर के लिए सी.जी.पी.ए. /प्रतिशतता निकालने का सूत्र निर्धारित करता है या नहीं;</p> <p>ड) यदि कोई विश्वविद्यालय अपने उपाधि प्रमाण-पत्र या समेकित अंक पत्र में सी.जी.पी.ए. और अंकों की प्रतिशतता दोनों का उल्लेख करता है, तो कम-से-कम एक मानदंड या तो सी.जी.पी.ए. या प्रतिशतता अं.वि. की पात्रता प्रतिमानकों के अनुरूप होना चाहिए;</p> <p>च) यदि कोई विश्वविद्यालय अपने उपाधि प्रमाण-पत्र या समेकित अंक पत्र में केवल सी.जी.पी.ए. का उल्लेख करता है, तो उल्लेखित सी.जी.पी.ए. अं.वि. के पात्रता मानदंड के अनुरूप ही होना चाहिए। पात्रता निर्धारित करने के लिए सी.जी.पी.ए. को अंकों की प्रतिशतता में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं है, भले ही संबंधित विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा कोई परिवर्तन सूत्र निर्धारित किया गया हो। आवश्यक परिवर्तन सहित यही मानदंड उन मामलों में भी लागू होता है, जहाँ उपाधि प्रमाण-पत्र/समेकित अंक-पत्र पर केवल अंकों की प्रतिशतता का उल्लेख किया गया है।</p>
--	---

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई	भर्ती का तरीका चाहे सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
8	9	10
लागू नहीं	एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, किन श्रेणियों से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय स्थायीकरण समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए।
11	12	13
लागू नहीं	<p>समूह 'ग', विभागीय चयन/स्थायीकरण समिति में शामिल हैं:</p> <p>1 उप सचिव, अं.वि. : अध्यक्ष</p> <p>2 अवर सचिव, अं.वि. : सदस्य</p> <p>3 अनिवार्य प्रतिनिधि : सदस्य (अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला / दिव्यांग / अल्पसंख्यक)</p>	लागू नहीं

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस. आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th January, 2026

G.S.R. 53.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C', Non-Gazetted post of Stenographer (Level 4) in the Department of Space, namely:-

1. **Short title and commencement** – (1) These rules are called the Department of Space, Stenographer Recruitment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualification** – No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;
OR
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:
Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
Stenographer	17* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'C' (Non-Gazetted).	(i) Level-4 (Rs. 25500- 81100) in the Pay Matrix. (ii) Non-Functional Selection Grade in Level-6 on completion of 4 years regular service in stenographer post (L-4).	Not Applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
6	7
18 to 28 Years for General (Unreserved) Candidates (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note-1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam,	Graduation with minimum of 60% marks or CGPA of 6.32 on a 10-point scale as declared by any recognized University, with a pre-requisite condition that Graduation should have been completed within the stipulated duration of the course as prescribed by the University; OR Diploma in Commercial/Secretarial Practice with Minimum of 60% marks or CGPA of 6.32 on a 10-point scale as declared by any recognized Board/University, with a pre-requisite condition that Diploma should have been completed within the stipulated duration of the course as prescribed by the University and candidates must possess One-year experience as Steno-Typist/Stenographer;

<p>Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, UT of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>Note-2: In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment Exchange(s), the crucial date for determining the age-limit shall, in each case be the last date upto which the Employment Exchange(s) are asked to submit the names.</p>	<p style="text-align: center;">AND</p> <p>A minimum speed of 60 w.p.m. in English Stenography and proficiency in the use of Computers.</p> <p>In case of Dual/Integrated Degree programmes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Where a CGPA/Percentage for Graduation and Post-Graduation is mentioned separately in the Dual/Integrated Degree Certificate, existing procedure for reckoning CGPA/percentage of the graduation level shall be reckoned; Where a common CGPA/ percentage applicable for the entire course of study is only mentioned in the Dual/Integrated Degree Certificate, final CGPA/ percentage as mentioned in the Dual/Integrated degree Certificate as applicable for the entire course of study, shall be reckoned for deciding the eligibility; Where a University does not prescribe any CGPA/percentage in Dual/Integrated Degree certificates, the cumulative CGPA/percentage as per Final / Consolidated Mark Sheet, as applicable for the entire course of study, shall be reckoned for deciding the eligibility; The above criteria will apply uniformly regardless of whether or not a University/Institution prescribes a formula to derive the CGPA/percentage for Graduation/ Post Graduation in its Dual / Integrated Degree certificate; Where a University mentions both CGPA and percentage of marks in Degree Certificate or Consolidated Mark-sheet, then at least one criteria i.e., either CGPA or percentage of marks should meet DOS eligibility norms; Where a University mentions only CGPA in degree Certificate or Consolidated Mark-sheet, then the CGPA so mentioned should necessarily meet DOS eligibility criteria. Conversion of CGPA into percentage of marks is not permitted to determine eligibility, regardless of whether any conversion formula is prescribed by the University/ Institution concerned. The same criteria apply mutatis mutandis in cases where only percentage of marks is mentioned in the Degree Certificate / Consolidated Mark-sheet.
---	---

Whether age and educational qualifications prescribed for directs will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
8	9	10
Not Applicable	One year	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Confirmation Committee exists, what is the composition?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Not Applicable	Group 'C', Departmental Selection/Confirmation Committee consisting of : 1 Deputy Secretary, DOS : Chairperson	Not Applicable

	2 Under Secretary, DOS	: Member	
	3 Mandatory Representatives (SC / ST / Women / PWD / Minority)	: Member	

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 54.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, अंतरिक्ष विभाग में वैयक्तिक सहायक (स्तर-7) के समूह 'ख', के गैर-राजपत्रित पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

- लघु शीर्षक और आरंभ** – (1) इन नियमों को अंतरिक्ष विभाग, वैयक्तिक सहायक भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- प्रयोज्यता** – ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं, इत्यादि** - उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- अपात्रता** – कोई भी ऐसा व्यक्ति, -
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है;

या

(ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

- छूट देने का अधिकार**- जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है, तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
- व्यावृत्ति** - इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन या गैर-चयन पद?
1	2	3	4	5
वैयक्तिक सहायक (पी.ए.)	8* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ख' (अराजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (₹ 44900- 142400)	चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी
6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
9	10
शून्य	क्रमशः 2:1 के अनुपात में वरिष्ठता एवं योग्यता द्वारा विभागीय योग्यता परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति और ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, किन श्रेणियों से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए।												
11	12	13												
<p>क) पदोन्नति द्वारा:</p> <p>वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (एन.एफ.एस.जी में स्तर-6) में आशुलिपिक, जिन्होंने उस पद पर 9 साल की नियमित सेवा की हो।</p> <p>नोट-1: स्तर-7 में वैयक्तिक सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए पात्रता सेवा, स्तर-4 में नियमित आधार पर फीडर पद, यानी आशुलिपिक, की पदधारिता पर इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर चार (4) वर्ष ही रहेगी।</p>	<p>समूह 'ख', विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए), में शामिल हैं:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1 निदेशक, अं.वि.</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">:</td> <td style="width: 40%;">अध्यक्ष</td> </tr> <tr> <td>2 उप सचिव, अं.वि.</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>3 अवर सचिव, अं.वि.</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>4 अनिवार्य प्रतिनिधि</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>सदस्य</td> </tr> </table> <p>(अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला / दिव्यांग / अल्पसंख्यक)</p>	1 निदेशक, अं.वि.	:	अध्यक्ष	2 उप सचिव, अं.वि.	:	सदस्य	3 अवर सचिव, अं.वि.	:	सदस्य	4 अनिवार्य प्रतिनिधि	:	सदस्य	लागू नहीं
1 निदेशक, अं.वि.	:	अध्यक्ष												
2 उप सचिव, अं.वि.	:	सदस्य												
3 अवर सचिव, अं.वि.	:	सदस्य												
4 अनिवार्य प्रतिनिधि	:	सदस्य												

नोट-2: विज्ञापन सं. ISRO: ICRB:02 (A-JPA):2022 दिनांक 20.12.2022 के प्रति तैयार किए गए वर्तमान पैनल में चयनित आशुलिपिक चार (4) वर्षों में स्तर-7 में वैयक्तिक सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

नोट -3: जहाँ ऐसे कनिष्ठ, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, और पदोन्नति के लिए विचाराधीन हैं, वहाँ उनके वरिष्ठ पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी अर्हता या पात्रता सेवा की अविधि, ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा की आधी अवधि या दो (2) वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो, और अपने कनिष्ठों के साथ परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है। पिछले मामलों को पुनः खोलने की आवश्यकता नहीं है।

ख) प्रतिनियुक्ति:

(i) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पदधारियों में से:

क) नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी; या

ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 में नियमित आधार पर समकक्ष संवर्ग में पद पर नियुक्ति के बाद नौ वर्षों की नियमित सेवा की हो।

ii) केन्द्र सरकार के अधीन केन्द्रीय सेवाओं के पदधारी:

क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी; या

ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 में नियमित आधार पर समकक्ष संवर्ग में पद पर नियुक्ति के बाद नौ साल की नियमित सेवा की हो।

नोट-1: प्रतिनियुक्ति पर पदधारियों के चयन में समय-समय पर विभाग में गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन शामिल होगा।

<p>नोट-2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>नोट-3: प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल: प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्षों की होगी और इसे उचित प्रक्रिया के साथ इसे 2 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।</p>		
---	--	--

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस. आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th January, 2026

G.S.R. 54.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B', Non-Gazetted post of Personal Assistant (Level 7) in the Department of Space, namely:-

1. **Short title and commencement** – (1) These rules are called the Department of Space, Personal Assistant Recruitment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** -The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualification** – No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

OR

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
Personal Assistant (PA)	8* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'B', (Non-Gazetted).	Level-7 (Rs. 44900-142400) in the Pay Matrix	Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10
Nil	Promotion through Departmental Qualifying Exam By Seniority & Merit in the ratio of 2:1 respectively, failing which Deputation.

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition ?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
<p>a) Promotion:</p> <p>Stenographers in Level-4 (NFSG in Level-6) with 9 years of regular service in the post.</p> <p>Note-1: The eligibility service for promotion to the post of Personal Assistant in Level-7 shall continue to be Four (4) years for persons holding the feeder post i.e., Stenographer with Level-4 on regular basis on the date of notification of these rules.</p> <p>Note-2: Stenographers selected in the current panel drawn against Advt. No.ISRO:ICRB:02(A-JPA):2022 dated 20.12.2022 will be eligible for promotion to Personal Assistant in Level-7 in four</p>	<p>Group 'B', Departmental Promotion Committee (for considering promotion), consisting of :</p> <p>1 Director, DOS : Chairperson</p> <p>2 Deputy Secretary, DOS : Member</p> <p>3 Under Secretary, DOS : Member</p> <p>4 Mandatory Representatives (SC / ST / Women / PWD / Minority) : Member</p>	Not Applicable

<p>(4) years.</p> <p>Note-3: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two (2) years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Past cases need not be reopened.</p> <p>b) Deputation:</p> <p>(i) <u>From amongst the Officials in Indian Space Research Organisation (ISRO):</u></p> <p>a) holding the analogous post on regular basis; or</p> <p>b) with nine years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-4 in the pay matrix.</p> <p>(ii) <u>Officials from Central Services under the Central Government:</u></p> <p>a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>b) with nine years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-4 in the pay matrix.</p> <p>Note-1: The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the Department from time to time.</p> <p>Note-2: Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>Note-3: Tenure of Deputation: The period of deputation shall be 3 years and can be extended for 2 more years with due procedure.</p>		
--	--	--

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 55.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, अंतरिक्ष विभाग में निजी सचिव (स्तर-8) के समूह 'ख', के राजपत्रित पद पर भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

- लघु शीर्षक और प्रारंभ** - (1) इन नियमों को अंतरिक्ष विभाग, निजी सचिव भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- प्रयोज्यता** - ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** - उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि** - उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

5. **अपात्रता** - कोई भी ऐसा व्यक्ति, -

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है, जिसका पति/पत्नी जीवित है;

या

(ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

- छूट देने का अधिकार**- जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है, तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
- व्यावृत्ति**- इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन या गैर-चयन पद?
1	2	3	4	5
निजी सचिव (पी.एस.)	6* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ख' (राजपत्रित)	(i) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (₹ 47600- 151100) (ii) निजी सचिव (स्तर-8) के पद पर 4 वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने पर स्तर-10 में गैर-प्रकार्यात्मक चयन ग्रेड।	चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी
6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई	भर्ती का तरीका चाहे सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
9	10
शून्य	क्रमशः 2:1 के अनुपात में वरिष्ठता एवं योग्यता द्वारा विभागीय योग्यता परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति और ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, किन श्रेणियों से पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए।
11	12	13
<p>क) पदोन्नति द्वारा:</p> <p>पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले वैयक्तिक सहायक (स्तर-7)।</p> <p>नोट-1: स्तर-9 में एन.एफ.एस.जी. प्राप्त स्तर-8 के मौजूदा निजी सचिव अब से स्तर-10 में एन.एफ.एस.जी. के साथ प्रतिस्थापित किए जाएंगे।</p> <p>नोट-2: एक बार की व्यवस्था के तौर पर, स्तर-7 के वैयक्तिक सहायक 100% वरिष्ठता पर पदोन्नत किए जाएंगे।</p> <p>ख) प्रतिनियुक्ति:</p> <p>(i) <u>भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)</u> के पदधारियों में से:</p> <p>क) नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी; या</p> <p>ख) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 में नियमित आधार पर समकक्ष संवर्ग में पद पर नियुक्ति के बाद पांच वर्षों की नियमित सेवा की हो।</p>	<p>समूह 'ख', विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए), जिसमें शामिल हैं:</p> <p>1 निदेशक, अं.वि. : अध्यक्ष</p> <p>2 उप सचिव, अं.वि. : सदस्य</p> <p>3 अवर सचिव, अं.वि. : सदस्य</p> <p>4 अनिवार्य प्रतिनिधि : सदस्य</p> <p>(अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला / दिव्यांग / अल्पसंख्यक)</p>	लागू नहीं

<p>ii) केंद्र सरकार के अधीन केंद्रीय सेवा समूह-ख के पदधारी:</p> <p>क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी; या</p> <p>ख) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 में नियमित आधार पर समकक्ष संवर्ग में पद पर नियुक्ति के बाद पांच वर्षों की नियमित सेवा की हो।</p> <p>नोट-1: प्रतिनियुक्ति पर पदधारियों के चयन में समय-समय पर विभाग में गठित चयन समिति द्वारा पात्र उम्मीदवारों का मूल्यांकन शामिल होगा।</p> <p>नोट-2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>नोट-3: प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल: प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्षों की होगी और उचित प्रक्रिया के साथ इसे 2 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।</p>		
--	--	--

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस. आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th January, 2026

G.S.R. 55.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B', Gazetted post of Private Secretary (Level-8) in the Department of Space, namely:-

- Short title and commencement** – (1) These rules are called the Department of Space, Private Secretary Recruitment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification** – No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

OR

- who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
Private Secretary (P.S.)	6* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'B', (Gazetted).	(i) Level 8 (Rs. 47600 – 151100) in the Pay Matrix (ii) Non-Functional Selection Grade in Level-10 on completion of 4 years regular service in the post of Private Secretary (L-8).	Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10
Nil	Promotion through Departmental Qualifying Exam By Seniority & Merit in the ratio of 2:1 respectively, failing which Deputation.

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition ?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
a) Promotion: Personal Assistant (L-7) with 5 years of regular service in the post. Note-1: Existing Private Secretary in Level-8 granted with NFSG in Level-9 shall be	Group 'B', Departmental Promotion Committee (for considering promotion), consisting of : 1 Director, DOS : Chairperson 2 Deputy Secretary, DOS : Member 3 Under Secretary, DOS : Member	Not Applicable

<p>replaced with NFSG in Level-10 henceforth.</p> <p>Note-2: As a one-time dispensation, existing Personal Assistant in Level-7 will be promoted on 100% seniority basis.</p> <p>b) Deputation:</p> <p>(i) <u>From amongst the Officials in Indian Space Research Organisation (ISRO):</u></p> <p>a) holding the analogous post on regular basis; or</p> <p>b) with five years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-7 in the pay matrix.</p> <p>(ii) <u>Officials from Central Services Group-B under the Central Government:</u></p> <p>a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>b) with five years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-7 in the pay matrix.</p> <p>Note-1: The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the Department from time to time.</p> <p>Note-2: Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>Note-3: Tenure of Deputation: The period of deputation shall be 3 years and can be extended for 2 more years with due procedure</p>	<p>4 Mandatory Representatives : Member (SC / ST / Women / PWD / Minority)</p>	
---	--	--

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 56.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, अंतरिक्ष विभाग में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (स्तर-6) के समूह 'ख' के अराजपत्रित पद पर भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:-

1. लघु शीर्षक और आरंभ- (1) इन नियमों को अंतरिक्ष विभाग, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।
(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
2. प्रयोज्यता- ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर-उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
4. भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं, इत्यादि- उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
5. अपात्रता- कोई भी ऐसा व्यक्ति,
क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है।

या

ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते कि केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

6. छूट देने का अधिकार- जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
7. व्यावृत्ति- इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है?
1	2	3	4	5
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (जे.टी.ओ.)	2* * (2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ख' (अराजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 6 (रु. 35400-112400)	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं
6	7
सामान्य (अनारक्षित) अभ्यर्थियों के लिए 18 से 35 वर्ष नोट-1: आयु-सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन	अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में स्नातक स्तर पर अंग्रेजी के साथ हिंदी में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से परास्नातक डिग्री; या

<p>प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, लाहौल और स्पीति जिले और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप-प्रभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप में अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)।</p> <p>नोट-:2 जिन पदों के संबंध में नियुक्ति, रोजगार कार्यालय (यों) के माध्यम से की जाती हैं, उनके लिए आयु-सीमा निर्धारित करने की अंतिम तिथि, प्रत्येक मामले में वह होगी, जिस तिथि तक रोजगार कार्यालय(यों) से नाम प्रस्तुत करने को कहा गया है।</p>	<p>अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में स्नातक स्तर पर हिंदी के साथ अंग्रेजी में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से परास्नातक डिग्री;</p> <p>या</p> <p>हिंदी माध्यम में हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से परास्नातक डिग्री तथा स्नातक स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में ;</p> <p>या</p> <p>अंग्रेजी माध्यम में हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से परास्नातक डिग्री तथा स्नातक स्तर पर हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में ;</p> <p>या</p> <p>हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से परास्नातक डिग्री, तथा स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों के रूप में हिंदी और अंग्रेजी रही हो या दोनों विषयों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम तथा दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय रहा हो;</p> <p>तथा</p> <p>हिंदी से अंग्रेजी और विपरीततः अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम या भारत सरकार के उपक्रमों सहित केंद्र या राज्य सरकार के कार्यालय में हिंदी से अंग्रेजी और इसके विपरीत अनुवाद कार्य का दो साल का अनुभव।</p> <p>कंप्यूटर के प्रयोग में दक्षता।</p>
--	--

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयु और शैक्षिक अर्हताएं, पदोन्नत अभ्यर्थियों के मामले में लागू होगा	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई	भर्ती का तरीका चाहे सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
8	9	10
लागू नहीं	एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन, किन श्रेणियों द्वारा की जानी चाहिए	यदि कोई विभागीय स्थायीकरण समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
लागू नहीं	समूह 'ख' विभागीय चयन/स्थायीकरण समिति में शामिल हैं: 1 निदेशक, अं.वि. : अध्यक्ष 2 उप सचिव, अं.वि. : सदस्य	लागू नहीं

	3	अवर सचिव, अं.वि.	:	सदस्य	
	4	उप निदेशक (रा.भा.), अं.वि.	:	सदस्य	
	5	अनिवार्य प्रतिनिधि (अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला / दिव्यांग / अल्पसंख्यक)	:	सदस्य	

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस. आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th January, 2026

G.S.R. 56.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'B', Non-Gazetted post of Junior Translation Officer (Level-6) in the Department of Space, namely :-

- Short title and commencement** – (1) These Rules are called the Department of Space, Junior Translation Officer Recruitment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification** – No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living

OR

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
Junior Translation Officer (JTO)	2* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'B' (Non-Gazetted).	Level-6 (Rs. 35400-112400) in the Pay Matrix	Not Applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
6	7
<p>18 to 35 Years for General (Unreserved) Candidates</p> <p>Note-1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, UT of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>Note-2: In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment Exchange(s), the crucial date for determining the age-limit shall, in each case be the last date upto which the Employment Exchange(s) are asked to submit the names.</p>	<p>Master's degree from any recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Master's degree from any recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Master's degree from any recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Master's degree from any recognized University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Master's degree from any recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level;</p> <p style="text-align: center;">AND</p> <p>Recognized Diploma or Certificate course in Translation from Hindi to English and vice-versa or two years' experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central or State Government Office, including Government of India undertakings.</p> <p>Proficiency in use of computers</p>

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
8	9	10
Not Applicable	One year	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Confirmation Committee exists, what is the composition?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Not Applicable	<p>Group 'B', Departmental Selection/Confirmation Committee consisting of :</p> <p>1 Director, DOS : Chairperson</p>	Not Applicable

	2 Deputy Secretary, DOS	: Member	
	3 Under Secretary, DOS	: Member	
	4 Deputy Director (OL), DOS	: Member	
	5 Mandatory Representatives (SC/ST/Women/PWD/Minority)	: Member	

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 57.— संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति अंतरिक्ष विभाग में वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी (स्तर-7) के समूह 'ख' के अराजपत्रित पद पर भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं :-

- लघु शीर्षक और आरंभ-** (1) इन नियमों को अंतरिक्ष विभाग, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।
(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- प्रयोज्यता** – ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर-उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।**
- भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं, इत्यादि-** उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा अन्य संबंधित मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- अपात्रता** – कोई भी ऐसा व्यक्ति,
क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है।

या

ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते कि केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

- छूट देने का अधिकार-** जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
- व्यावृत्ति-** इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है?
1	2	3	4	5
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी (एस.टी.ओ.)	2* * (2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ख' (अराजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 7 (रु. 44900-142400)	गैर-चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयु और शैक्षिक अर्हताएं, पदोन्नत अभ्यर्थियों के मामले में लागू होगा
6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई	भर्ती का तरीका चाहे सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
9	10
शून्य	पदोन्नति द्वारा (100% वरिष्ठता), ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन, किन श्रेणियों द्वारा की जानी चाहिए	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
<p>क) पदोन्नति:</p> <p>पद पर 5 वर्षों की नियमित सेवा वाले कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (स्तर-6)।</p> <p>नोट-1: जहां कनिष्ठ, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवाएं पूरी कर ली हैं, और पदोन्नति के लिए विचारार्थ हैं, उनके वरिष्ठ भी अपने कनिष्ठों की भांति अगली उच्च श्रेणी में पदोन्नति हेतु विचारार्थ होंगे, बशर्ते वे आवश्यक अर्हता या पात्रता सेवा की आधे से अधिक अवधि या दो (2) वर्ष, जो भी कम हो, पूरी कर चुके हों तथा परिबीक्षा अवधि सफलतापूर्वक समाप्त कर चुके हों। विगत मामलों को पुनः खोलने की आवश्यकता नहीं है।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति में (पदोन्नति पर विचार करने हेतु) शामिल हैं;</p> <p>1 निदेशक, अं.वि. : अध्यक्ष</p> <p>2 उप सचिव, अं.वि. : सदस्य</p> <p>3 अवर सचिव, अं.वि. : सदस्य</p> <p>4 उप निदेशक (रा.भा.) : सदस्य</p> <p>5 अनिवार्य प्रतिनिधि : सदस्य</p> <p>(अ.जा./अ.ज.जा./महिला/दिव्यांग/अल्पसंख्यक)</p>	लागू नहीं

<p>ख) प्रतिनियुक्ति :</p> <p>(i) <u>भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पदधारियों में से:</u></p> <p>क) नियमित आधार पर सदृश पदधारित कर्मचारी; या</p> <p>ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 में नियमित आधार पर समकक्ष संवर्ग में नियुक्ति उपरांत पद पर 5 वर्षों की नियमित सेवा की हो।</p> <p>(ii) <u>केंद्र सरकार के अधीन केंद्रीय सेवा समूह 'ख' के कर्मचारी:</u></p> <p>क) नियमित आधार पर मूल संवर्ग या विभाग में सदृश पदधारित कर्मचारी; या</p> <p>ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 में नियमित आधार पर समकक्ष संवर्ग में नियुक्ति उपरांत पद पर 5 वर्षों की नियमित सेवा की हो।</p> <p>नोट-1: प्रतिनियुक्ति पर पदधारियों के चयन में समय-समय पर विभाग में गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन शामिल होगा।</p> <p>नोट-2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>नोट-3: प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल: प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्षों की होगी और इसे उचित प्रक्रिया के साथ 2 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।</p>		
--	--	--

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस. आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th January, 2026

G.S.R. 57.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'B', Non-Gazetted post of Senior Translation Officer (Level-7) in the Department of Space, namely :-

- Short title and commencement** – (1) These Rules are called the Department of Space, Senior Translation Officer Recruitment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, qualification, etc. -** The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living

OR

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or Non-Selection Post
1	2	3	4	5
Senior Translation Officer (STO)	2* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'B' (Non-Gazetted).	Level-7 (Rs. 44900 – 142400) in the Pay Matrix	Non-Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10
Nil	By promotion (100% Seniority), failing which by Deputation.

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
a) Promotion: Junior Translation Officer (Level-6) with 5 years of regular service in the post. Note-1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or	Group 'B', Departmental Promotion Committee (for considering promotion), consisting of : 1 Director, DOS : Chairperson 2 Deputy Secretary, DOS : Member 3 Under Secretary, DOS : Member 4 Deputy Director (OL), DOS : Member	Not Applicable

<p>eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two (2) years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Past cases need not be reopened.</p> <p>b) Deputation:</p> <p>(i) <u>From amongst the Officials in Indian Space Research Organisation (ISRO):</u></p> <p>a) holding the analogous post on regular basis; or</p> <p>b) with five years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-6 in the pay matrix</p> <p>ii) <u>Officials from Central Services Group-B under the Central Government:</u></p> <p>a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>b) with five years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-6 in the pay matrix.</p> <p>Note-1: The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the Department from time to time.</p> <p>Note-2: Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>Note-3: Tenure of Deputation: The period of deputation shall be 3 years and can be extended for 2 more years with due procedure.</p>	<p>5 Mandatory : Member Representatives (SC / ST / Women/ PWD / Minority)</p>	
--	---	--

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 58.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में स्टाफ कार ड्राइवर 'ए' (स्तर-2) के समूह 'ग' के अराजपत्रित पद पर भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

- लघु शीर्षक और आरंभ** – (1) इन नियमों को अंतरिक्ष विभाग, स्टाफ कार ड्राइवर-ए भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- प्रयोज्यता** – ये नियम, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

4. **भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि** - उक्त पदों हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामले इस अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

5. **अपात्रता** - कोई भी ऐसा व्यक्ति, -

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है;

या

(ख) जिसका पति/पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

6. **छूट देने का अधिकार** - जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है, तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।

7. **व्यावृत्ति** - इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है?
1	2	3	4	5
स्टाफ कार ड्राइवर 'ए' (एस.सी.डी.-ए)	3* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ग' (अराजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 2 (₹ 19900- 63200)	गैर-चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
6	7
सामान्य (अनारक्षित) अभ्यर्थियों के लिए 18 से 35 वर्ष (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों को 40 वर्ष तक की छूट)। नोट-1: आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए अंतिम तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	मैट्रिकुलेशन / एस.एस.सी. / एस.एस.एल.सी. या समकक्ष और लघु वाहन चलाने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव और लघु वाहनों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस अवश्य होना चाहिए। नोट-1: अभ्यर्थियों को तैनाती के राज्य में मोटर वाहन अधिनियम की किसी भी अन्य आवश्यकता को पद ग्रहण करने के बाद 3 माह के भीतर पूरा करना होगा।

<p>होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू के लद्दाख़ मंडल और कश्मीर राज्य, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चम्बा जिले का पांगी उप-मंडल, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)।</p> <p>नोट-2: उन पदों के संबंध में, जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती हैं, उनके लिए आयु-सीमा निर्धारित करने की अंतिम तिथि, प्रत्येक मामले में वह होगी, जिस तिथि तक रोजगार कार्यालय(यों) से नाम प्रस्तुत करने को कहा गया है।</p>	<p>नोट-2: निर्धारित कुल अनुभव वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद का होना चाहिए।</p> <p>नोट-3: अनुभव प्रमाण-पत्र केवल सरकारी / अर्ध-सरकारी एजेंसियों / पंजीकृत कंपनियों / सोसाइटी / न्यासों आदि द्वारा जारी होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से जारी अनुभव प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।</p> <p>नोट-4: अंशकालिक अनुभव को अनुभव के वर्षों की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।</p> <p>नोट-5: अभ्यर्थी के पास आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि तक आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं होनी चाहिए।</p>
---	--

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
8	9	10
लागू नहीं	एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किन श्रेणियों द्वारा की जानी चाहिए	यदि कोई विभागीय स्थायीकरण समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
लागू नहीं	<p>समूह 'ग', विभागीय चयन/स्थायीकरण समिति, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <p>1 उप सचिव, अं.वि. : अध्यक्ष</p> <p>2 अवर सचिव, अं.वि. : सदस्य</p> <p>3 परिवहन प्रभारी : सदस्य</p> <p>4 अनिवार्य प्रतिनिधि (अ.जा./ अ.ज.जा./महिला/दिव्यांग/अल्पसंख्यक) : सदस्य</p>	लागू नहीं

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस. आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th January, 2026

G.S.R. 58.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'C', Non-Gazetted post of Staff Car Driver 'A' (Level-2) in the Department of Space, namely :

1. **Short title and commencement** – (1) These rules are called the Department of Space, Staff Car Driver-A Recruitment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualification** – No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

OR

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of Post (s)	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether selection or non-selection post
1	2	3	4	5
Staff Car Driver 'A' (SCD-A)	3* *(2025) Subject to variation dependent on workload	General Central Services, Group 'C', (Non-Gazetted).	Level-2 (Rs.19900-63200) in the Pay Matrix	Non-Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
6	7
18 to 35 years for General (Unreserved) Candidates (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	Matriculation / SSLC / SSC or equivalent and should have three years' experience in driving Light Vehicles and must possess a valid Driving License for Light Vehicles.

<p>Note-1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, UT of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>Note-2 : In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment Exchange(s), the crucial date for determining the age-limit shall, in each case be the last date upto which the Employment Exchange(s) are asked to submit the names.</p>	<p>Note-1: Any other requirement of the Motor Vehicle Act of the concerned State in which the candidate is posted should be met within 3 months after the candidate joins the post.</p> <p>Note-2: Total prescribed experience should be after obtaining valid Driving License.</p> <p>Note-3: Experience Certificate should only be from the Government / Semi-Government agencies / Registered Companies / Societies / Trusts, etc. Experience Certificate from individuals will not be accepted.</p> <p>Note-4: Part-time experience will not be considered for calculation of number of years of experience.</p> <p>Note-5: The candidate should possess the requisite educational and other qualifications as on the closing date for receipt of the application.</p>
--	---

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
8	9	10
Not Applicable	One year	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Confirmation Committee exists, what is the composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13
Not Applicable	Group 'C', Departmental Selection/ Confirmation Committee consisting of : 1 Deputy Secretary, DOS : Chairperson 2 Under Secretary, DOS : Member 3 Transport In-charge : Member 4 Mandatory Representatives : Member (SC / ST / Women / PWD / Minority)	Not Applicable

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 59.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, अंतरिक्ष विभाग में स्टाफ कार ड्राइवर 'बी' (स्तर-4) के समूह 'ग' के अराजपत्रित पद पर भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

- लघु शीर्षक और आरंभ-** (1) इन नियमों को अंतरिक्ष विभाग, स्टाफ कार ड्राइवर-बी भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।
(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- प्रयोज्यता-** ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर-उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर,** इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

4. **भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि-** उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
5. **अपात्रता-** कोई भी ऐसा व्यक्ति,
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है;
या
(ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,
किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:
बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।
6. **छूट देने का अधिकार-** जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
7. **व्यावृत्ति-** इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
1	2	3	4
स्टाफ कार ड्राइवर 'बी' (एस.सी.डी.-बी)	3* (2025) * कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ग' (अराजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 4 (₹ 25500-81100)

क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है?	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं
5	6	7
गैर-चयन	लागू नहीं	लागू नहीं

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयु और शैक्षिक अर्हताएं, पदोन्नत अभ्यर्थियों के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई	भर्ती का तरीका चाहे सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
8	9	10
लागू नहीं	शून्य	पदोन्नति द्वारा (100% वरिष्ठता), ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, किन श्रेणियों से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए।
11	12	13
<p>क) पदोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 में न्यूनतम 8 वर्षों की नियमित सेवा के साथ स्टाफ कार ड्राइवर 'ए'। नोट-1: स्तर-4 में स्टाफ कार ड्राइवर-बी के पद पर पदोन्नति के लिए पात्रता सेवा फीडर पद अर्थात् नियमित आधार पर स्तर-2 में स्टाफ कार ड्राइवर-ए धारण करने वाले कर्मचारियों के लिए इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर पांच (5) वर्ष ही रहेगी। नोट-2: जहां कनिष्ठों ने अपनी अर्हक या पात्रता सेवाएं पूरी कर ली हैं तथा पदोन्नति के लिए विचारार्थ हैं, उनके वरिष्ठ भी अपने कनिष्ठों के साथ अगली उच्च श्रेणी में पदोन्नति के लिए विचारार्थ होंगे, बशर्ते कि वे ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा का आधे से अधिक या दो (2) वर्ष, जो भी कम हो, पूरा कर चुके हों और परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। पिछले मामलों को फिर से खोलने की आवश्यकता नहीं है।</p> <p>ख) प्रतिनियुक्ति: <u>केंद्र सरकार के तहत केंद्रीय सेवा समूह-ग के कर्मचारी:</u> क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारित कर्मचारी; या ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 में नियमित आधार पर समकक्ष संवर्ग में पद पर नियुक्ति के बाद आठ वर्षों की नियमित सेवा की हो। नोट-1: प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के चयन में समय-समय पर विभाग में गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन शामिल होगा। नोट-2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट-3: प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी और इसे उचित प्रक्रिया के साथ 2 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने हेतु) में शामिल हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 उप सचिव, अं.वि. : अध्यक्ष 2 अवर सचिव, अं.वि. : सदस्य 3 परिवहन प्रभारी : सदस्य 4 अनिवार्य प्रतिनिधि : सदस्य (अ.जा./ अ.ज.जा./ महिला/ दिव्यांग / अल्पसंख्यक) 	<p>लागू नहीं</p>

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस. आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th January, 2026

G.S.R. 59.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'C', Non-Gazetted post of Staff Car Driver 'B' (Level-4) in the Department of Space, namely :

1. **Short title and commencement** – (1) These rules are called the Department of Space, Staff Car Driver-B Recruitment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualification** – No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

OR

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of Post (s)	Classification	Pay Level in the Pay Matrix
1	2	3	4
Staff Car Driver 'B' (SCD-B)	3*(2025) *Subject to variation dependent on workload	General Central Services, Group 'C', (Non-Gazetted).	Level-4 (Rs.25500-81100) in the Pay Matrix

Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
5	6	7
Non-selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
8	9	10
Not Applicable	Nil	By promotion (100% Seniority), failing which Deputation

In case of recruitment by promotion / deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13
<p>a) Promotion:</p> <p>Staff Car Drivers 'A' in Level 2 in the Pay Matrix with a minimum of 8 years' regular service in the post.</p> <p>Note-1: The eligibility service for promotion to the post of Staff Car Driver-B in Level-4 shall continue to be five (5) years for persons holding the feeder post i.e. Staff Car Driver-A in Level-2 on regular basis on the date of notification of these rules.</p> <p>Note-2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two (2) years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Past cases need not be reopened.</p> <p>b) Deputation:</p> <p><u>Officials from Central Services Group-C under the Central Government:</u></p> <p>a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>b) with eight years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-2 in the pay matrix.</p> <p>Note-1: The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the Department from time to time.</p> <p>Note-2: Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion), consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Deputy Secretary, DOS : Chairperson 2 Under Secretary, DOS : Member 3 Transport In-charge : Member 4 Mandatory Representatives (SC/ ST / Women / PWD / Minority) : Member 	<p>Not Applicable</p>

Note-3: The period of deputation shall be 3 years and can be extended for 2 more years with due procedure.

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 60.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, अंतरिक्ष विभाग में स्टाफ कार ड्राइवर 'सी' (स्तर-5) के समूह 'ग' के अराजपत्रित पद पर भर्ती के तरीके को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं :

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ - (1) इन नियमों को अंतरिक्ष विभाग, स्टाफ कार ड्राइवर-सी भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. प्रयोज्यता - ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
4. भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, आदि - उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

5. अपात्रता - कोई भी ऐसा व्यक्ति, -

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है, जिसका पति/पत्नी जीवित है;

या

(ख) जिसका पति/पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

6. छूट देने का अधिकार- जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है, तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
7. व्यावृत्ति- इन नियमों से, इस संबंध में यथा समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है?
1	2	3	4	5
स्टाफ कार ड्राइवर 'सी' (एस.सी.डी.-सी)	4* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ग' (अराजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (₹ 29200-92300)	गैर-चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी
6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
9	10
शून्य	पदोन्नति द्वारा (100% वरिष्ठता), और ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, जिन श्रेणियों से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए।																
11	12	13																
<p>क) पदोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 में न्यूनतम 5 वर्षों की नियमित सेवा के साथ स्टाफ कार ड्राइवर 'बी'।</p> <p>नोट-1: स्तर-5 में स्टाफ कार ड्राइवर-सी के पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता सेवा, इन नियमों की अधिसूचना के तिथि पर नियमित आधार पर फीडर पद अर्थात् स्तर-4 में स्टाफ कार ड्राइवर-बी का पद धारण करने वाले कर्मचारियों हेतु चार (4) वर्ष या एससीडी-बी (स्तर-4) में न्यूनतम दो (2) वर्षों सहित एससीडी-ए (स्तर-2) और एससीडी-बी (स्तर-4) में 9 वर्षों की संयुक्त सेवा ही रहेगी।</p> <p>ख) प्रतिनियुक्ति: <u>केंद्र सरकार के अधीन केंद्रीय सेवाओं के समूह- ग के पदधारी:</u></p> <p>क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी; या</p> <p>ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 में नियमित आधार पर समकक्ष संवर्ग में पद पर नियुक्ति के बाद पांच वर्षों की नियमित सेवा की हो।</p>	<p>समूह 'ग', विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए), जिसमें शामिल हैं:</p> <table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>उप सचिव, अं.वि.</td> <td>:</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>अवर सचिव, अं.वि.</td> <td>:</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>परिवहन प्रभारी</td> <td>:</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>अनिवार्य प्रतिनिधि (अ.जा./अ.ज.जा./महिला/ दिव्यांग/अल्पसंख्यक)</td> <td>:</td> <td>सदस्य</td> </tr> </table>	1	उप सचिव, अं.वि.	:	सदस्य	2	अवर सचिव, अं.वि.	:	सदस्य	3	परिवहन प्रभारी	:	सदस्य	4	अनिवार्य प्रतिनिधि (अ.जा./अ.ज.जा./महिला/ दिव्यांग/अल्पसंख्यक)	:	सदस्य	लागू नहीं
1	उप सचिव, अं.वि.	:	सदस्य															
2	अवर सचिव, अं.वि.	:	सदस्य															
3	परिवहन प्रभारी	:	सदस्य															
4	अनिवार्य प्रतिनिधि (अ.जा./अ.ज.जा./महिला/ दिव्यांग/अल्पसंख्यक)	:	सदस्य															

<p>नोट-1: प्रतिनियुक्ति पर पदधारियों के चयन में समय-समय पर विभाग में गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन शामिल होगा।</p> <p>नोट-2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>नोट-3: प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्षों की होगी और इसे उचित प्रक्रिया के साथ 2 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।</p>		
---	--	--

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस. आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th January, 2026

G.S.R. 60.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'C', Non-Gazetted post of Staff Car Driver 'C' (Level-5) in the Department of Space, namely :

- Short title and commencement** – (1) These rules are called the Department of Space, Staff Car Driver-C Recruitment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification** – No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

OR

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of Post (s)	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether selection or non-selection post
1	2	3	4	5
Staff Car Driver 'C' (SCD-C)	4* *(2025) Subject to variation dependent on workload	General Central Services, Group 'C', (Non-Gazetted).	Level-5 (Rs.29200-92300) in the Pay Matrix	Non-selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8
Not applicable	Not applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
9	10
Nil	By promotion (100% Seniority), failing which Deputation

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13
<p>a) Promotion:</p> <p>Staff Car Drivers 'B' in Level 4 in the Pay Matrix with a minimum of 5 years' regular service in the post.</p> <p>Note-1: The eligibility service for promotion to the post of Staff Car Driver-C in Level-5 shall continue to be Four (4) years or combined service of 9 years in SCD-A (Level-2) and SCD-B (Level-4) with minimum of two (2) years in SCD-B (Level-4) for persons holding the feeder posts i.e., Staff Car Driver-B in Level-4 on regular basis on the date of notification of these rules.</p> <p>b) Deputation:</p> <p><u>Officials from Central Services Group-C under the Central Government:</u></p> <p>a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion), consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Deputy Secretary, DOS : Chairperson 2 Under Secretary, DOS : Member 3 Transport In-charge : Member 4 Mandatory : Member <p>Representatives (SC/ST/Women/PWD/ Minority)</p>	Not Applicable

<p>b) with five years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-4 in the pay matrix.</p> <p>Note-1: The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the Department from time to time.</p> <p>Note-2: Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>Note-3: The period of deputation shall be 3 years and can be extended for 2 more years with due procedure.</p>	
--	--

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 61.— संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, अंतरिक्ष विभाग में स्टाफ कार ड्राइवर 'डी' (स्तर-6) के समूह 'ख' के अराजपत्रित पद पर भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

1. **लघु शीर्षक और आरंभ** – (1) इन नियमों को अंतरिक्ष विभाग, स्टाफ कार ड्राइवर-डी भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
2. **प्रयोज्यता** – ये नियम, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
4. **भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि** - उक्त पदों हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामले इस अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
5. **अपात्रता** – कोई भी ऐसा व्यक्ति, -
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है;

या

(ख) जिसका पति/पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

6. छूट देने का अधिकार - जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है, तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
7. व्यावृत्ति - इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है?
1	2	3	4	5
स्टाफ कार ड्राइवर 'डी' (एस.सी.डी.-डी)	1* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ख', (अराजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (₹ 35400- 112400)	गैर-चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी।
6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
9	10
शून्य	पदोन्नति द्वारा (100% वरिष्ठता), ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किन श्रेणियों से की जानी चाहिए	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
क) पदोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 में न्यूनतम 6 वर्षों की नियमित सेवा के साथ स्टाफ कार ड्राइवर 'सी'।	समूह 'ख', विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने हेतु), जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:	लागू नहीं

<p>नोट-1: स्तर-6 में स्टाफ कार ड्राइवर-डी के पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता सेवा, इन नियमों की अधिसूचना की तिथि पर नियमित आधार पर फीडर पद अर्थात् स्तर-5 में स्टाफ कार ड्राइवर-सी का पद धारण करने वाले कर्मचारियों हेतु 05 वर्ष ही रहेगी।</p> <p>ख) प्रतिनियुक्ति:</p> <p><u>केंद्र सरकार के अधीन केंद्रीय सेवाओं के कर्मचारी:</u></p> <p>क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी; या</p> <p>ख) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 में नियमित आधार पर समकक्ष संवर्ग पद पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्षों की नियमित सेवा के साथ।</p> <p>नोट-1: प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के चयन में, विभाग में समय-समय पर गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन शामिल होगा।</p> <p>नोट-2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p> <p>नोट-3: प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्षों की होगी और इसे उचित प्रक्रिया के साथ 2 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।</p>	<table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>निदेशक, अं.वि.</td> <td>:</td> <td>अध्यक्ष</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>उप सचिव, अं.वि.</td> <td>:</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>अवर सचिव, अं.वि.</td> <td>:</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>परिवहन प्रभारी</td> <td>:</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>अनिवार्य प्रतिनिधि (अ.जा./अ.ज.जा./महिला/ दिव्यांग/अल्पसंख्यक)</td> <td>:</td> <td>सदस्य</td> </tr> </table>	1	निदेशक, अं.वि.	:	अध्यक्ष	2	उप सचिव, अं.वि.	:	सदस्य	3	अवर सचिव, अं.वि.	:	सदस्य	4	परिवहन प्रभारी	:	सदस्य	5	अनिवार्य प्रतिनिधि (अ.जा./अ.ज.जा./महिला/ दिव्यांग/अल्पसंख्यक)	:	सदस्य	
1	निदेशक, अं.वि.	:	अध्यक्ष																			
2	उप सचिव, अं.वि.	:	सदस्य																			
3	अवर सचिव, अं.वि.	:	सदस्य																			
4	परिवहन प्रभारी	:	सदस्य																			
5	अनिवार्य प्रतिनिधि (अ.जा./अ.ज.जा./महिला/ दिव्यांग/अल्पसंख्यक)	:	सदस्य																			

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस. आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th January, 2026

G.S.R. 61.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'B', Non-Gazetted post of Staff Car Driver 'D' (Level-6) in the Department of Space, namely :

2. **Short title and commencement** – (1) These rules are called the Department of Space, Staff Car Driver-D Recruitment Rules, 2025.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc. -** The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualification** – No person, -
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

OR

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of Post (s)	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether selection or non-selection post
1	2	3	4	5
Staff Car Driver 'D' (SCD-D)	1* *(2025) Subject to variation dependent on workload	General Central Services, Group 'B', (Non-Gazetted)	Level-6 (Rs.35400-112400) in the Pay Matrix	Non-selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
6	7
Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
8	9	10
Not Applicable	Nil	By promotion (100% Seniority), failing which Deputation

In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13
<p>a) Promotion: Staff Car Drivers 'C' in Level 5 in the Pay Matrix with a minimum of 6 years' regular service in the post. Note-1: The eligibility service for promotion to the post of Staff Car Driver-D in Level-6 shall continue to be three (3) years for persons holding the feeder post i.e., Staff Car Driver-C in Level-5 on regular basis on the date of notification of these rules.</p> <p>b) Deputation: <u>Officials from Central Services under the Central Government:</u> a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or b) with six years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-5 in the pay matrix. Note-1: The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the Department from time to time. Note-2: Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application. Note-3: The period of deputation shall be 3 years and can be extended for 2 more years with due procedure.</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion), consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Director, DOS : Chairperson 2 Deputy Secretary, DOS : Member 3 Under Secretary, DOS : Member 4 Transport In-charge : Member 5 Mandatory Representatives : Member (SC / ST / Women / PWD / Minority) 	<p>Not Applicable</p>

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 62.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, अंतरिक्ष विभाग में मल्टी-टास्किंग स्टाफ (स्तर-1) के समूह-'ग' के अराजपत्रित पद पर भर्ती की प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

1. लघु शीर्षक और आरंभ – (1) इन नियमों को अंतरिक्ष विभाग, मल्टी-टास्किंग स्टाफ भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
2. प्रयोज्यता – ये नियम, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर-उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
4. भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि- उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामले इस अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
5. अपात्रता- कोई भी ऐसा व्यक्ति, -
क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है;
या
ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:
बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।
6. छूट देने का अधिकार- जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
7. व्यावृत्ति- इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है?
1	2	3	4	5
मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एम.टी.एस.)	14* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ग' (अराजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 ₹ 18000 – 56900)	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएँ पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी
6	7	8
सामान्य (अनारक्षित) अभ्यर्थियों के लिए 18 से 25 वर्ष के बीच (केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्षों तक की छूट)।	मैट्रिकुलेशन या समकक्ष उत्तीर्ण या आई.टी.आई. उत्तीर्ण (पद की विशेष आवश्यकताओं, यदि कोई, के अनुसार अपनाई जाए)	लागू नहीं

<p>नोट-1: आयु-सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, लाहौल और स्पीति जिले और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप में अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)।</p> <p>नोट-2: उन पदों के संबंध में, जिनके लिए रोजगार कार्यालय(यों) के माध्यम से नियुक्तियां की जाती हैं, के प्रत्येक मामले में आयु-सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि वह अंतिम तिथि होगी, जिस तिथि तक रोजगार कार्यालय (यों) से नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।</p>		
---	--	--

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
9	10
दो वर्ष	सीधी भर्ती/अनुकंपा नियुक्ति द्वारा नोट: अनुकंपा नियुक्तियों को भारत सरकार/अंतरिक्ष विभाग द्वारा समय-समय पर पारित मौजूदा आदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन, किन श्रेणियों द्वारा की जानी चाहिए	यदि कोई विभागीय स्थायीकरण समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
लागू नहीं	समूह 'ग', विभागीय चयन/स्थायीकरण समिति में निम्नलिखित शामिल हैं: <ul style="list-style-type: none"> 1 उप सचिव, अं.वि. : अध्यक्ष 2 अवर सचिव, अ.वि. : सदस्य 3 अनिवार्य प्रतिनिधि (अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला / दिव्यांग / अल्पसंख्यक) : सदस्य 	लागू नहीं

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस. आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th January, 2026

G.S.R. 62.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'C', Non-Gazetted post of Multi-Tasking Staff (Level-1) in the Department of Space, namely:

1. **Short title and commencement** – (1) These rules are called the Department of Space, Multi-Tasking Staff Recruitment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualification** – No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

OR

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
Multi-Tasking Staff (MTS)	14* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'C', (Non-Gazetted).	Level-1 (Rs.18000 - 56900) in the Pay Matrix	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for directs will apply in the case of promotes.
6	7	8
Between 18 to 25 years for General (Unreserved) Candidates (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note-1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam,	Matriculation or equivalent pass. OR ITI pass (may be adopted as per special requirements of the post, if any)	Not Applicable

<p>Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, UT of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>Note-2: In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment Exchange(s), the crucial date for determining the age-limit shall, in each case be the last date upto which the Employment Exchange(s) are asked to submit the names.</p>		
---	--	--

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10
Two years	By direct recruitment / Compassionate appointment Note: Compassionate appointments shall be regulated as per extant orders passed by Government of India /Department of Space from time to time.

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Confirmation Committee exists, what is the composition?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13
Not applicable	Group 'C', Departmental Selection/Confirmation Committee consisting of : 1 Deputy Secretary, DOS : Chairperson 2 Under Secretary, DOS : Member 3 Mandatory Representatives (SC/ST/Women/PWD/Minority) : Member	Not Applicable

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.